



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267387
CG-DL-E-04112025-267387

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947

No. 731]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 817(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (एनएचपीसी लिमिटेड के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग।**— एनएचपीसी लिमिटेड के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना।**— नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु रजत – 50 प्रतिशत तांबा – 40 प्रतिशत निकिल – 05 प्रतिशत जस्ता – 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन**.— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों से संलग्न पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार**.— एनएचपीसी लिमिटेड के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों से संलग्न दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची
[नियम 4 देखिए]

पचास रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उल्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “50” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में एनएचपीसी लिमिटेड के 50 वर्ष का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “हरित ऊर्जा के 50 वर्ष” उल्कीर्ण होगा, जिसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में “1975-2025” अंकित होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “50 YEARS OF GREEN ENERGY” उल्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची
[नियम 5 देखिए]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा.सं . 02/32/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

G.S.R. 817(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of completion of fifty years of NHPC Limited) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Denomination of coin.— The coin of Fifty Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate on the occasion of completion of fifty years of NHPC Limited.

3. Dimension and composition of coin.— The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver – 50 per cent. Copper – 40 per cent. Nickel – 05 per cent. Zinc – 05 per cent.

4. Design.— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.— The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate on the occasion of completion of fifty years of NHPC Limited and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

FIRST SCHEDULE
[See rule 4]

FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devanagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “50” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the official logo of 50 YEARS OF NHPC LIMITED at the center of the coin. The inscription “हरित ऊर्जा के 50 वर्ष” shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin, with the year “1975–2025” inscribed below it in international numerals. The inscription “**50 YEARS OF GREEN ENERGY**” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin.

SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say, the weight may vary from 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/32/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser